न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाबडा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

<u>व्य.वाद क.300062अ / 2016</u> संस्थित दिनांक—29.09.2016

मुरलीधर ऐड़े उम्र—35 वर्ष पिता श्री लेखराम ऐड़े, जाति पवार, निवासी ग्राम कुमादेही तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट।

....वादी

ः विरुद्ध ः

1. बृजिबहारी पटले आयु 37 वर्ष पिता श्री दशरथ पटले, जाति पवार, निवासी ग्राम धनवार तहसील परसवाड़ा हाल मुकाम वार्ड नंबर—04 नरिसंहटोला बेहर तहसील बेहर जिला बालाघाट। 2. म. प्र. राज्य तर्फ श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट तहसील व जिला बालाघाट।

.....प्रतिवादीगण

ः <u>निर्णय</u>ः (आज दिनांक 21.12.2017 को घोषित)

- 01— यह वाद लिखित व तहरीर इकरारनामा / सहमित पत्र दिनांक 01.05.2015 अनुसार वादी, प्रतिवादी क्रमांक 01 से उसके हक मालिकी एवं स्वामित्व की मौजा धनवार, प.ह.नं.29 में स्थित भूमि कुल रकबा 2.601 हेक्टेयर में से 2.00 एकड़ भूमि का पंजीयन उसके पक्ष में किये जाने तथा उक्त लिखित व तहरीर इकरारनामा / सहमित पत्र में दर्शित भूमि की रिजस्ट्री न कराये जाने की दशा में ली गई उधार राशि 2,87,400 / रुपये प्रतिवादी से प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 02— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी उपरोक्त वर्णित पता अनुसार निवासरत होकर आपस में सगे रिश्तेदार है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है। इकरारनामा/सहमति पत्र अनुसार भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 के हक मालिकी एवं स्वामित्व की भूमि मौजा धनवार प.ह.नं.29, रा.नि.मं. मजगांव में स्थित है, जिसमें से वादी के पक्ष में भूमि रकबा 2.00 एकड़ भूमि का पंजीयन कराया जाना है। वादग्रस्त संपत्ति खसरा नंबर 109/2/ख एवं 110/3ख रकबा 1.356 हेक्टेयर, खसरा नंबर 109/2ग एवं 110/3/ग

रकबा 0.233 हेक्टेयर, खसरा नंबर 112/5 एवं 113/2 तथा 122/4ग रकबा 2.601 हेक्टेयर मौजा धनवार(ठे.) प.ह.नं.29 में स्थित है।

वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 आपस में सगे रिश्तेदार है। 03-उभयपक्ष के मध्य मध्र एवं सौहाद्रपूर्ण संबंध थे। प्रतिवादी क्रमांक 01 वादी के घर 01 मई, 2015 को आया और कहा कि उसे घरेलू खर्च एवं निजी कार्य हेत् पैसों की सख्त आवश्यकता है, उसने सभी जगह रुपयों की व्यवस्था करने की कोशिश किया, परंतू रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पाई। उसे 2,87,400 / -रुपये उधार दो, वह काम होते ही तथा पैसों की व्यवस्था होते ही वापस कर देगा, जिस पर वादी द्वारा कहा गया कि उसके पास रुपयों की व्यवस्था तो है, परंतु उसके काम के है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा कहे जाने पर कि उसे रुपयों की अत्यंत आवश्यकता है। वह 06 माह के अंदर रुपये वापस कर देगा और यदि रुपये वापस नहीं किया तो उसके नाम मौजा धनवार प.ह.नं.29 में लगभग 7.00 एकड भूमि है, जिसमें से 2.00 एकड़ भूमि उनके नाम से पंजीयन / रजिस्ट्री करवा देगा, जिसके संबंध में उसने अपने परिवार के सदस्यों से सलाह ले लिया है, जिसकी बात को मानकर तथा विश्वास करते हुए रिश्तेदार होने से मदद करने के आशय से वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 01 को स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा / सहमति पत्र दिनांक 01.05.2015 को समक्ष गवाहों के लिखा-पढ़ी कर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात नोटरी पब्लिक बैहर के समक्ष दस्तावेज (लिखत स्टाम्प) का सत्यापन कराया गया, जिसमें दिनांक 01.11.2015 तक रुपये वापस करने के संबंध में लेख किया जाकर गवाहों के समक्ष प्रतिवादी क्रमांक 01 को राशि 2,87,400 / - रुपये दी गई।

04— लिखित व तहरीर करार के मुताबिक प्रतिवादी क्रमांक 01 ने दिनांक 01.11.2015 तक रुपये उसे अदा नहीं किया, तब उसने प्रतिवादी क्रमांक 01 से मिलकर रुपये वापस करने के लिए कहा, तब प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा कहा गया कि बहुत प्रयास करने के उपरांत भी रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पाई और वह समय—सीमा में रुपये नहीं दे सका, इसलिये लिखित व तहरीर इकरारनामा/सहमित पत्र अनुसार उसके नाम दर्ज भूमि कुल रकबा 2.601 हेक्टेयर भूमि में से 2.00 एकड़ भूमि को अपने पक्ष में रिजस्द्री करवा लो और वह रिजस्द्री करने हेतु तत्पर है, जिसके संबंध में उसने परिवार के लोगों से सलाह—मशवरा कर लिया है, जिसपर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के बीच भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन कराया जाना निश्चित किया गया, परंतु प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा आजकल का बहाना करते हुए वादी के पक्ष में भूमि का पंजीयन नहीं किया गया तथा वादी द्वारा दी गई उधार राशि 2,87,400/—रुपये को भी वापस नहीं किया गया, तब वादी द्वारा लिखा—पढ़ी के गवाहों को प्रतिवादी क्रमांक 01 के पास उसके घर ले जाकर समझाने का प्रयास किया

गया, जिनके समक्ष भी प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा रुपयों की व्यवस्था नहीं होने के कारण 2.00 एकड़ भूमि का पंजीयन करने हेतु सहमत हुआ और कुछ समय की मांग की गई।

कुछ समय उपरांत वादी द्वारा प्रतिवादी कमांक 01 को भूमि के पंजीयन कराने हेत् कहे जाने पर प्रतिवादी कमांक 01 द्वारा उसे अश्लील गालियाँ दी जाकर रुपये वापस न करना व लिखित तहरीर इकरारनामा अनुसार भूमि का पंजीयन नहीं कराना कहा गया और तुमसे जो बनता है करो और पुनः रुपये की मांग या भूमि की रजिस्द्री कराने की बात नहीं करना अन्यथा जान से खत्म करवा दूंगा और जान माल से हाथ धोना पड़ जायेगा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिससे वादी भयभीत हो गया है कि प्रतिवादी कमांक 01 रुपये वापस नहीं कर रहा है व म्याद भुगतने के उपरांत भी लिखित व तहरीर शर्तों के अनुसार भूमि का पंजीयन नहीं करवा रहा है, तब लिखा-पढ़ी के उक्त गवाहों के साथ प्रतिवादी क्रमांक 01 के साथ जाकर रुपये वापस किये जाने हेत् समझाईश दिये जाने का प्रयास किया गया, जिसके पश्चात भी वादी के पक्ष में प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा रुपये वापस किये गये और ना ही उक्त भूमि का पंजीयन करवाया गया, वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 01 को रजिस्टर्ड म्यादी नोटिस प्रेषित करवाया गया, जिसके पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अपने जवाब में दिनांक 23.09.2013 को 2,23,000 / - रुपये लिया था, जिसे वापस कर दिये जाने का कथन किया गया।

06— वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 01 को रुपयों की आवश्यकता होने पर राशि 2,87,400/—रुपये गवाहों के समक्ष उधार दी थी, जिसके संबंध में लिखा—पढ़ी की जाकर नोटरी पब्लिक बैहर के समक्ष सत्यापन/प्रमाणित कराया गया, जिस लिखित शर्त के अनुसार दिनांक 01.05.2015 को राशि लिया जाना व दिनांक 01.11.2015 को राशि वापस किया जाना व राशि अदा न किये जाने की दशा में चल व अचल संपत्ति स्वरूप प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम दर्ज भूमि मौजा धनवार प.ह.नं.29 में स्थित रकबा 7.00 एकड़ में से 2.00 एकड़ भूमि वादी के पक्ष में बिना किसी हिला हवाला किये पंजीयन करवाने का लेख करते हुए तहरीर किया गया है, जिसके आधार पर वादी अपने पक्ष में उक्त भूमि का पंजीयन कराने का अधिकारी है। यदि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध उधार ली गई राशि 2,84,400/— रुपये वापस दिलाया जाने अथवा उक्त भूमि का पंजीयन किये जाने हेतु आदेशित नहीं दिया जाता है तो वादी को अपरिमीत क्षति होगी।

07— वाद कारण दिनांक 01.11.2015 को तब उपत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वादी को लिखित व तहरीर इकरारनामा अनुसार राशि

2,87,400 / — रुपये वापस नहीं की व दूसरी बार दिनांक सूचना पत्र प्रेषित करने के उपरांत दिनांक 12.07.2016 को जवाब प्रेषित कर राशि अदायगी न कर व भूमि का पंजीयन वादी के पक्ष में पंजीयन नहीं कराया गया, जिसके पश्चात उक्त वाद प्रस्तुत किया गया।

- 08— वादी ने अपने वाद का मूल्यांकन वास्ते लिखित व तहरीर इकरारनामा / सहमित पत्र की शर्तों के अनुसार राशि अदायगी की समय—सीमा समाप्त होने की दशा में प्रतिवादी क्रमांक 01 के हक मालिकी व स्वामित्व में स्थित भूमि रकबा लगभग 7.00 एकड़ में से 2.00 एकड़ का पंजीयन अपने पक्ष में करवाये जाने का अधिकारी है, के संबंध में घोषणात्मक आज्ञप्ति प्राप्त किये जाने बाबद् राशि 2,87,400 /— रुपये आकलन किया गया है, जिस पर वांछित न्यायशुल्क स्टाम्प 34,560 /— रुपये का चस्पा किया गया है। अतः लिखित व तहरीर इकरारनामा / सहमित पत्र दिनांक 01.05.2015 अनुसार वादी प्रतिवादी क्रमांक 01 से उसके हक मालिकी एवं स्वामित्व में मौजा धनवार, प.ह.नं.29 में स्थित भूमि कुल रकबा 2.601 हेक्टेयर में से 2.00 एकड़ भूमि का पंजीयन उसके पक्ष में किये जाने तथा उक्त लिखित व तहरीर इकरारनामा / सहमित पत्र में दर्शित भूमि की रजिस्ट्री न कराये जाने की दशा में ली गई उधार राशि 2,87,400 /— रुपये एक साथ प्रतिवादी से दिलाया जावे।
- 09— वादी के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादी कमांक 01 ने यह व्यक्त किया है कि वादी द्वारा प्रतिवादी कमांक 01 को बतौर ब्याज राशि दी गई थी एवं उक्त राशि प्रदान करने के एवज में लिखा—पढ़ी स्वरूप उक्त इकरारनामा निष्पादित किया गया था, इसलिए उक्त इकरारनामें में किस खसरे नंबर की भूमि विक्रय किया जाना है, इसका उल्लेख नहीं किया गया था और ना ही रिजस्टर्ड कराया गया था। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अपनी भूमि विक्रय करने के पश्चात दिनांक 09.07.2015 को विक्रय राशि प्राप्त कर वादी को संपूर्ण राशि अदा की जा चुकी है एवं राशि अदा करने के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा उक्त लिखा—पढ़ी को वापस मांगा गया, परंतु वादी द्वारा यह कहा गया कि अभी नहीं है, घर पर रखी है, बाद में लाकर दे दूंगा, संपूर्ण भुगतान उसके द्वारा किया जा चुका है। उक्त लिखा—पढ़ी का अब कोई महत्व नहीं है।
- 10— वादी प्रतिवादी कमांक 01 का रिश्तेदार है एवं पूर्व में भी लेन—देन किया गया था, जिसके कारण प्रतिवादी कमांक 01 द्वारा वादी पर विश्वास किया गया था। वादी एवं प्रतिवादी कमांक 01 के मध्य सिर्फ राशि का लेन—देन हुआ था, जिसे प्रतिवादी कमांक 01 द्वारा अदा कर दी गई है। उसके द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व ही उक्त राशि का भुगतान किया गया था, परंतु

वादी द्वारा उसे परेशान करने के आशय से अविध व्यतीत के पश्चात सूचना पत्र भेजा गया, जिसके जबाब में उसके अधिवक्ता द्वारा राशि अदा किये जाने का सूचना पत्र दिया गया था। वादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा रजिस्टर्ड न होना एवं अविध बाह्य है। उक्त इकरारनामें में न तो भूमि का उल्लेख है कि किस खसरे नंबर की भूमि विक्रय की जानी है और ना ही चतुरसीमा स्पष्ट की गई है। उक्त करार मात्र रुपयों के लेन—देन को लेकर किया गया था एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादी को उसके द्वारा दी गई राशि मय ब्याज के वापस की जा चुकी है।

11— प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादी को उपरोक्त राशि का भुगतान दिनांक 09.07.2015 के माध्यम से गवाह गोविन्द क्षीरसागर तथा संजु टेम्भरे के समक्ष किया गया है। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 को ना तो समय—सीमा के भीतर नोटिस दिया गया है और ना ही समय—सीमा के भीतर वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

12— उभयपक्ष के अभिवचनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके विवेचना उपरांत मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या प्रतिवादी ने दिनांक 01.05.2015 को वादी से वादग्रस्त संपत्ति 2,87,400/— रुपये में विक्रय करने का अनुबंध किया और अनुबंध पत्र भी निष्पादित किया ?	
2.	क्या प्रतिवादी ने उक्त अनुबंध अनुसार वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने से अवैधानिक रूप से इंकार किया ?	*
3.	क्या वादी अनुबंध पालन के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहा है ?	~ ~.
4	क्या वाद अनुचित मूल्यांकन के लिए पोषणीय नहीं है ?	6
5	क्या वाद अवधि बाह्य है ?	'' प्रमाणित नहीं।''
6	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका—19 के अनुसार वाद आंशिक रूप से स्वीकृत।

विवाद्यक प्रश्न कमांक 04 का निष्कर्ष:-

13— वादी के अनुसार उसने प्रतिवादी क01 से वादग्रस्त भूमि का पंजीयन अपने पक्ष में करवाने हेतु वाद का मूल्यांकन 2,87,400/— रूपये किया है जिस पर 34,560/— रूपये न्यायलय शुल्क चस्पा किया है। जबिक प्रतिवादी के अनुसार वादी ने वाद का मूल्यांकन गलत किया है जिससे वाद निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। परंतु उसने उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और ना ही वादी साक्ष्यों के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत किये हैं। मात्र मौखिक औपचारिक अभिवचन किये जाने से ऐसी कोई उपधारणा नहीं की जा सकती क्योंकि वादी द्वारा संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद प्रस्तुत किया है। जिस हेतु उसका मूल्यांकन तथा न्यायालय शुल्क वाद मूल्यांकन अधिनियम 1887 की धारा—8 एवं न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 की धारा—7 (x) के अनुसार उचित प्रतीत होता है। फलतः विवाद्यक क्रमांक—4 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक 01 का निष्कर्ष:-

🕶 वाद पत्र के अभिवचनों का समर्थन कर वादी मुरलीधर वा.सा.०1 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वह तथा प्रतिवादी रिश्तेदार होने की वजह से उनके बीच मध्र एवं सौहाद्रपूर्ण संबंध है तथा दिनांक 01 मई, 2015 को प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा उसके घर पर आकर घरेलू खर्च एवं निजी कार्यों हेतु पैसों की आवश्यकता व्यक्त की गई, जिस पर उसने पैसा होना व्यक्त किया, तब प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा कहा गया कि वह 06 माह के अंदर पैसा वापस कर देगा और न करने की स्थिति में उसके नाम पर मौजा धनवार प.ह.नं.29 में स्थित सात एकड़ कृषि भूमि में से दो एकड़ भूमि उसके नाम से रजिस्ट्री करवा देगा। फिर रिश्तेदार होने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 01 की बातों पर विश्वास करने पर उसने दिनांक 01.05.2015 को 1,000 / — रुपये के स्टाम्प पेपर पर गवाहों के समक्ष इकरारनामा निष्पादित करवाया, जिसमें दिनांक 01.11.2015 तक रुपये वापस करने की बात लेख की गई एवं न कर पाने की दशा में भूमि का पंजीयन कराना लेख किया गया, जिस पर गवाहों के समक्ष एकमुश्त राशि 2,87,400 / - रुपये उसे दिये गये। तत्पश्चात दिनांक 01.11.2015 तक रुपये वापस नहीं करने पर उसने पैसे वापस मांगे तो प्रतिवादी द्वारा पैसे की व्यवस्था न हो पाने के कारण इकरारनामा में लिखे अनुसार दो एकड़ भूमि की रजिस्ट्री कराने हेतू तैयार होना व्यक्त किया, जिस पर रजिस्ट्री कराये जाने की बात निश्चित की गई, परन्तु बाद में पंजीयन हेतु कहे जाने पर बहानेबाजी करते हुए प्रतिवादी ने उसके पक्ष में भूमि का पंजीयन नहीं कराया और ना ही उधार ली गई राशि वापस की गई।

- मुरलीधर वा.सा.01 के अनुसार फिर उसके द्वारा राशि दिये जाने के समय के गवाहों को लेकर समझाईश दिये जाने का प्रयास किया गया, तब उनके सामने भी पैसों की व्यवस्था न होने के कारण भूमि की रजिस्ट्री करने की बात की गई और उक्त हेत् समय की मांग की गई। कुछ समय पश्चात पुनः रजिस्ट्री हेतु कहे जाने पर प्रतिवादी क्रमांक 01 ने रजिस्ट्री से इंकार कर पैसे भी वापस नहीं करने की बात कही गई और दोबारा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर उसे भय हो गया कि प्रतिवादी भूमि तथा पैसे दोनों हड़प करने की नियत में है, जिसके पश्चात उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी को विधिक सूचना पत्र प्रेषित किया, जिसके जवाब में प्रतिवादी ने नया तथ्य गढ दिया, जबिक उनके मध्य एक ही बार दिनांक 01.05.2015 को रुपयों का लेन-देन हुआ है, क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा इकरारनामा दिनांक 01.05.2015 के अनुसार दिनांक 01.11.2015 तक राशि वापस नहीं की गई है। वह उक्त राशि मय वाद व्यय प्राप्त करने का अधिकारी है तथा राशि न अदा किये जाने की दशा में दो एकड़ भूमि का पंजीयन अपने पक्ष में कराये जाने का अधिकारी है। वह भूमि का पंजीयन कराने हेत् तैयार है, क्योंकि भूमि का पंजीयन नहीं कराये जाने एवं राशि वापस नहीं करने पर उसे अपरीमित क्षति होगी। उसने वाद के समर्थन में इकरारनामा दो प्रति में प्र.पी.01, रजिस्ट्री सूचना पत्र प्र.पी.02, पोस्टल रसीद प्र. पी.03, एकनालेजमेंट प्र.पी.04, प्रतिवादी द्वारा प्रेषित जवाब प्र.पी.05, वादग्रस्त भुमि का पांचसाला खसरा प्र.पी.06 एवं किश्तबंदी खतौनी प्र.पी.07 प्रस्तुत की है। उक्त कथनों का समर्थन गजेन्द्र पटले वा.सा.02 तथा ललित पटले वा.सा. 03 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किये हैं।
- 16— वादी के अभिवचनों का खंडन कर प्रतिवादी बृजिबहारी प्र.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादी द्वारा उसे 2,23,000 / रुपये उधार दिये गये थे तथा उक्त संबंध में दिनांक 01.11.2015 तक राशि वापसी हेतु इकरारनामा लिखाया गया था। उसके द्वारा भूमि विक्रय के संबंध में कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया है और ना ही उक्त इकरारनामे में किसी विशिष्ट भूमि का वर्णन है। उक्त इकरारनामा महज राशि को लेकर किया गया था, जिसके पश्चात उसने दिनांक 09.07.2015 को भूमि विक्रय करने के उपरांत वादी को संपूर्ण राशि अदा कर दी है। उसके द्वारा वादी को प्रेषित नोटिस के जवाब में भी उक्त बात स्पष्ट की जा चुकी है। उक्त इकरारनामे की अवधि व्यतीत होने के 11 माह पश्चात वादी द्वारा सूचना पत्र प्रेषित किया गया, जिसके एक वर्ष उपरांत वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है, जो अवधि बाह्य है। फलतः वर्तमान वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है, परंतु प्रकरण की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत दस्तावेज प्र.पी.01 पंजीकृत नहीं है, जिससे धारा–17(एफ) रजिस्द्रीकरण अधिनियम के प्रकाश में उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नहीं है तथा उसे केवल धारा-49 के प्रकाश सम्पार्श्विक व्यवहार के लिए उपयोग में ले सकते हैं। कथित विक्रय के संबंध में अन्य सभी साक्ष्य मौखिक है, जो कि धारा-91 साक्ष्य अधिनियम के अधिनियम के आलोक में अपवर्जित है। साथ ही विभिन्न न्यायदृष्टांतों द्वारा यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विक्रय के संबंध में मौखिक साक्ष्य दिया जाना संभव नहीं है। विक्रय विलेख मूल अथवा विधि अनुसार द्वितीयक साक्ष्य देकर साबित किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रतिवादी द्व ारा यह स्वीकृत किया गया है कि उसने वादी से रुपये प्राप्त किये थे, परंतु उसके अनुसार उक्त उधार की राशि वापस कर दी गई है। अब सब्त का भार प्रतिवादी पर है कि वह यह सिद्ध करे कि उसने राशि वापस कर दी है, परंत् प्रतिवादी द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। मात्र मीखिक औपचारिक कथन कर देने से तत्संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। संपूर्ण न्यायालयीन परीक्षण में प्रतिवादी बृजबिहारी प्र.सा.01 द्वारा विरोधाभासी कथन किये है और कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त रुपये कब और कहाँ वापस किये गये। प्रतिवादी बुजबिहारी प्र.सा.01 कहीं भी अपनी साक्ष्य में स्थिर नहीं है तथा उसकी ओर से कोई अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। अब प्रश्न रुपयों का है। प्रतिवादी बुजबिहारी प्र.सा.०१ ने २,23,000 / – रुपये लेना व्यक्त किया है, जबकि समस्त वादी साक्ष्य प्रतिवादी को 2,87,400 / – रूपये उधार दिये जाने के संबंध में अखण्डनीय है। जिसकी पृष्टि प्र.पी.01 के दस्तावेज से भी होती है। जिसे प्रतिवादी द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गयी है। फलतः सम्पूर्ण साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि वादी द्वारा प्रतिवादी कमांक-01 को 2,87,400 / - रूपये उधार दिये गये परंतू प्रतिवादी द्वारा उक्त रूपये वादी को नहीं लौटाये गये। तथापि विवाद्यक क्.-01, 02 व 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक 05 का निष्कर्ष:-

18— परिसीमा अधिनियम की अनुच्छेद 54 संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु तीन वर्ष की समय—सीमा का प्रावधान करती है, जिसका समय पालन किये जाने से इंकार करने की तिथि से प्रारंभ होता है। प्रकरण में वादी के पक्ष में संविदा किया जाना ही प्रमाणित नहीं है। परंतु संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद निर्धारित समयाविध में प्रस्तुत होना दर्शित है। साथ ही वादी द्वारा उक्त संविदा के तहत प्रदत्त राशि वापसी का अनुतोष भी चाहा गया है, जिस हेतु भी वर्तमान वाद अनुच्छेद—19 के अंतर्गत निर्धारित तीन वर्ष की परिसीमा अविध में प्रस्तुत होना दर्शित है। जिससे विवाद्यक प्रश्न कमांक 05 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक 05 का निष्कर्ण:-<u>सहायता एवं व्ययः</u>-

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी संविदा के विनिर्दिष्ट 19— पालन हेतु अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है। परंतु वादी यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि उसके द्वारा प्रतिवादी को दी गयी उधार की राशि 2,87,400 / - रूपये प्रतिवादी ने उसे लौटाई नहीं है और वह उक्त राशि को प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रकरण में वादी द्वारा ब्याज के संबंध में कोई मांग नहीं की गयी है। परिणाम स्वरूप वर्तमान वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:-

अ—वादी प्रतिवादी क—01 से 2,87,400/— रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

ब-वाद व्यय प्रतिवादी क-01 वहन करेगा।

स–अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तदनुसार उक्त आशय की आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही / — (अमनदीप सिंह छाबड़ा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो बैहर बालाघाट म.प्र.

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो बैहर बालाघाट म.प्र.

